न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक /2012 जिला–रीवा

रामपति पटेल पुत्र श्री रामस्वरूप पटेल, निवासी– ग्राम भीटा तहसील गुढ़ जिला रीवा (म.प्र.) ..... आवेदक

विरूद्ध

1– श्रीमती शिवराज कुमारी वेवा पत्नी गोपालकृष्ण पटेल,

2– अमर पुत्र गोपालकृष्ण नाबालिग

3– हनुमान पुत्र गोपालकृष्ण नाबालिग
सरपरस्त माँ श्रीमती शिवराज कुमारी

4– हरिश्चन्द्र पुत्र रामावतार पटेल
निवासीगण– ग्राम भीटा तहसील गुढ़ जिला रीवा (म.प्र.)

..... अनावेदकगण

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 893-III/2009 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 17.02.2012 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 51 के अधीन पुनर्विलोकन आवेदन–पत्र।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नांकित लिखित तर्क प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, आराजी क्रमांक 421 रकवा 0.020 हैक्टेयर स्थित ग्राम भीटा, तहसील गुढ, जिला रीवा के पूर्व भूमि स्वामी स्व. तेजाराम थे जो पारिवारिक बटवारा में आवेदक के पिता स्व. रामस्वरूप तथा अनावेदिका क्रमांक 1 के ससुर

[redacted]

रामस्वरूप की मृत्यु हो जाने पर परिवार का कर्त्ता खानदान रामावतार रहे उनके द्वारा बदयान्तीपूर्वक उक्त भूमि अपने नाम से अपने पुत्र स्व. गोपाल कृष्ण व अनावेदक हरिश्चन्द्र का नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित कराया [redacted]

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 2401–दो/13 जिला –रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
05.8.16	आवेदक की ओर से श्री के0 के0 द्विवेदी उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किये । आवेदक के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण के प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया। 2–यह रिव्यु आवेदन–पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 893–तीन/2009 में पारित आदेश दिनांक 17.02.12 के विरूद्ध प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक 2401–दो/13 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये । 3– आवेदक के अधिवक्ता की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 893–तीन/09 में वर्णित हैं। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 17.02.12 से किया जा चुका है। 4–रिव्यु प्र0क0 2401–दो/13 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही	

रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है:–

अ–नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

ब– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती ।

स– कोई अन्य पर्याप्त कारण ।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नही पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। उभयपक्ष सूचित हों । प्रकरण दा0 द0 हो । राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

(के0 सी0 जैन)
सदस्य